

अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी

वाद संख्या 391/2016-17

आदेश

अभियुक्ति


12020  
अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसे अभिलेख में संलग्न किया गया है। जमाबंदी रैयत के वंशज उपस्थित है व उनके द्वारा सादा हुकुमनामा एवं लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है तथा अपने पक्ष में अन्य कोई कागजात प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग नहीं की गई है।


Indian Registration Act, 1908 की धारा 17 के अनुसार 100/- से अधिक की सम्पति का अनिंबधित हस्तांतरण विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है। साथ ही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-04/स.भू.(दिशा-निर्देश)-95/2016. 2074/रा. दिनांक-13.05.2016 में वर्णित निर्देश के अनुसार लगान रसीद पूर्वाग्रह रहित होते है। अतएव लगान रसीद के आधार पर दावा बिना ठोस साक्ष्य के स्वीकार योग्य नहीं है एवं पंजी - 2 में प्राधिकार कालेम में भी किसी प्रकार का कोई आदेश अकिंत नहीं है। जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा समर्पित आवेदन में, पंजी 2 में एवं लगान रसीद में प्लॉट संख्या का भी उल्लेख नहीं है। पंजी 2 की सत्यापति प्रति अभिलेख के संलग्न है।

अतः फुलकुमारी देवी के नाम से मौजा-बलारडीह, थाना-टुण्डी खाता संख्या-98,40,44,79,36 रकवा- 6.08ए0 एवं पृष्ठ संख्या-89 पर कायम जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

  
अंचल अधिकारी,  
पूर्वी टुण्डी।

  
अंचल अधिकारी,  
पूर्वी टुण्डी।